दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायससाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ||Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ||रायगढ़, मंगलवार 26 नवम्बर 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 59

महत्वपूर्ण एवं खास

शरद पवार पर भाजपा हुई खामोश!

» भाजपा का कांग्रेस और शिवसेना पर हमला

नई दिल्ली (आरएनएस)। महाराष्ट्र में रातोंरात सरकार गठन की चली कवायद को लेकर विपक्ष के चौतरफा हमले झेल रही भाजपा ने सोमवार को जवाब दिया। लोकसभा में महाराष्ट्र के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन और लोकतंत्र की हत्या किए जाने जैसे आरोपों पर पार्टी ने पलटवार किया। हालांकि इस दौरान शरद पवार और उनकी पार्टी की आंतरिक गतिविधियों पर भाजपा ने कोई टिप्पणी नहीं की। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद भवन के गेट नंबर चार पर पत्रकारों से कांग्रेस और शिवसेना पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, लोकतंत्र की हत्या किसने की, शिवसेना नेतृत्व, कांग्रेस ने। चुनाव में भाजपा और शिवसेना को जनादेश मिला था और मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस को, तो फिर किसने जनादेश को चुराया?

चिदंबरम से मिलने तिहाड़ पहुंचे थरूर, मनीष और कार्ति

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस नेता शशि थरूर, मनीष तिवारी और कार्ति चिदंबरम पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से मिलने सोमवार को तिहाड़ जेल पहुंचे। चिदंबरम वर्तमान में आईएनएक्स मीडिया मामले में तिहाड़ में बंद हैं। थरूर ने ट्वीट किया कि चिदंबरम मजबूत और अच्छे मिजाज में दिखे। उन्होंने कहा कि लेकिन उनके 98 दिनों की जेल की सजा की हास्यास्पद बात यह है कि कल (मंगलवार) संविधान दिवस है, मगर पीसी का स्वतंत्रता का अधिकार कहां है? यह हमारे लोकतंत्र के बारे में क्या संकेत देता है? पी. चिदंबरम तिहाड़ जेल में इसलिए हैं, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रहा है। चिदंबरम को पहली बार आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था और 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 16 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं।

खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 10 लोगों की मौत

लीमा। पेरू के मध्य इलाके हुयानको में एक यात्री बस के खाई में गिर जाने की वजह 10 लोगों की मौत हो गयी और कम से कम 20 लोग घायल हो गए। स्थानीय मीडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी। कैनाल ?न मीडिया के अनुसार यात्री बस उत्तर-पूर्व उकायली के जुनिन में ह्युनाकायो से पुसिल्पा की ओर जा रही थी तब कार्पिष टनल से पहले यह हादसा हुआ। हादसा स्थानीय समय रविवार को छह बजे हुआ और बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। शुरूआती जांच के अनुसार हादसा बारिश की वजह वाहन चालक के वाहन पर से नियंत्रण खोने के कारण हुआ। परिवहन एवं संचार मंत्रालय के प्रमुख पेट्रीसिया कामा ने कहा कि वाहन के जीपीएस रिपोर्ट के अनुसार वाहन की आखिरी बार गति 47 आंकी गयी थी। इसके अलावा घायलों को नाजिदकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

आज बहुमत साबित करने के लिए सुनाया जाएगा फैसला

» महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट से फडणवीस को बड़ी राहत

नई दिल्ली (आरएनएस)। महाराष्ट्र की सियासत पर सोमवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की तरफ से अदालत में पेश हुए वकीलों ने जहां आज ही अदालत से बहुमत परीक्षण कराने की मांग की। वहीं सत्तापक्ष के वकील ने कहा कि बहुमत परीक्षण तो होना ही है लेकिन उन्हें और समय दिया जाना चाहिए। इस दौरान अदालत में इस बात का खुलासा हुआ कि राज्यपाल ने फडणवीस सरकार को सदन में बहुमत परीक्षण के लिए 14 दिनों का समय दिया है। पहले कहा जा रहा था 30 नवंबर तक सरकार को बहुमत साबित करना है लेकिन नए खुलासे से पता चला है कि फडणवीस सरकार को 7 दिसंबर तक राज्यपाल ने बहुमत परीक्षण का समय दिया है। हालांकि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब मंगलवार सुबह 10.30 बजे अदालत अपना फैसला सुनाएगा।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान केंद्र ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र में सरकार गठित करने के लिए भाजपा को एनसीपी के 54 विधायकों का समर्थन था। केंद्र ने न्यायालय से अनुरोध किया कि राज्यपाल के फैसले के खिलाफ याचिका पर जवाब देने के लिये उसे दो तीन दिन का वक्त दिया जाए। न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष शिवसेना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके गठबंधन के पास 154 विधायकों के हलफनामे हैं और भाजपा को 24 घंटे के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करने के लिये कहा जाना चाहिए, अगर उसके पास है। केंद्र ने पीठ से कहा कि 23 नवंबर को सबसे बड़े दल को सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित करना राज्यपाल का विवेकाधिकार था।

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल को सरकार गठित करने के लिये घूम-घूम कर यह पता लगाने की आवश्यकता नहीं है कि किस दल के पास बहुमत है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि क्या कोई दल यहां आकर 24 घंटे के भीतर बहुमत सिद्ध करने के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप का अनुरोध कर सकता है। मेहता ने कहा कि राज्यपाल चुनाव के नतीजों के बाद के तथ्यों और स्थिति से भलीभांति अवगत थे जिनकी वजह से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने संबंधी राज्यपाल कोश्यारी के पत्र का जिक्र किया और फिर कहा कि यह निर्णय करना होगा कि क्या मुख्यमंत्री के पास सदन में बहुमत का समर्थन है या नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल ने शिवसेना, भाजपा, एनसीपी को सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था और इनके कामयाब नहीं होने के बाद ही प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। एनसीपी के नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिन्दर सिंह ने पीठ से कहा कि राज्यपाल ने नियमानुसार ही फडणवीस को सरकार गठित करने के लिये आमंत्रित किया है। इससे पहले, शिवसेना की ओर से बहस शुरू करते हुए सिब्बल ने तीनों दलों की प्रेस कांफ्रेंस का हवाला दिया जिसमें उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया गया था। सिब्बल ने कहा कि ऐसी कौन सी राष्ट्रीय आपदा थी कि सुबह 5.27 मिनट पर राष्ट्रपति शासन खत्म किया जाता। उन्होंने राष्ट्रपति शासन हटाने की कथित जल्दबाजी और नई सरकार के गठन का जिक्र किया और कहा कि लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सिब्बल ने कहा कि शिवसेन-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन ने महाराष्ट्र के 154 विधायकों के समर्थन के हलफनामे दिए हैं। यदि भाजपा के पास संख्या है तो उसे 24 घंटे के भीतर बहुमत सिद्ध करने के लिये कहा जाना चाहिए।

एनसीपी और कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे निचले स्तर का छल करार दिया और सवाल किया कि क्या एक भी एनसीपी विधायक ने अजित पवार से कहा कि उसने भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिये उनका समर्थन किया। विशेष पीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई शुरू होने पर मेहता ने न्यायालय के निर्देशानुसार राज्यपाल और फडणवीस के पत्र पेश किया। पीठ ने रविवार को ये पत्र पेश करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन की इस याचिका पर विचार नहीं कर रही है कि उन्हें महाराष्ट्र में सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया जाए।

दिसंबर के आरंभ में मिस्र से 6090 एमटी प्याज की आवक होगी

» केन्द्र सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राज्यों की मांग का आकलन किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। उपभोक्ता कार्य विभाग में सचिव अविनाश के. श्रीवास्तव ने आज राज्यों की मांग का आकलन करने के लिए राज्य सरकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सचिव ने इस संबंध में 23 नवम्बर, 2019 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा है। एमएमटीसी ने मिस्र से 6090 एमटी प्याज की पहली खेप के लिए ऑर्डर दिया है जो मुंबई के नावा शेवा (जेएनपीटी) पर पहुंचेगी। प्रति किलोग्राम 52-55 रुपये के एक्स-मुंबई रेट पर वितरण के लिए राज्य सरकारों को प्याज की पेशकश की जा रही है। प्याज को प्रति किलोग्राम 60 रुपये के एक्स-दिल्ली रेट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकारें स्वयं ही संबंधित स्थान से स्टॉक हासिल कर सकती हैं और इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर नैफेड के जरिये ढुलाई की सुविधा पाने का भी विकल्प उनके पास होगा। आयातित प्याज की आपूर्ति दिसम्बर महीने के आरंभ से शुरू होगी।

वैसे तो दिल्ली में राज्य सरकार की ओर से इस बारे में अपनी मांग प्रस्तुत करना अभी बाकी है, लेकिन नैफेड ने सूचित किया है कि वह अपने स्वयं के विक्रय केन्द्रों के साथ-साथ मदर डेयरी, केन्द्रीय भंडार और एनसीसीएफ के केन्द्रों के जरिये भी प्याज की खुदरा बिक्री करेगा। प्रथम सप्ताह के लिए विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से अब तक 2265 एमटी की कुल मांग प्राप्त हुई है जिसमें आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल एवं सिक्किम से आई मांग शामिल है। यही नहीं, इसमें दिल्ली में आपूर्ति के लिए नैफेड की ओर से आई मांग भी शामिल है।

आईएमएसी ने 271 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी

नईदिल्ली (आरएनएस)। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालय अनुमोदन समिति (आईएमएसी) ने खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी) योजना के तहत 271 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।

इस तथ्य के बावजूद कि सीईएफपीपीसी परियोजनाएं देश भर में 100 से भी अधिक कृषि-जलवायु क्षेत्रों (जोन) को कवर करती हैं, इन परियोजनाओं को 270 मिनट की समयावधि में मंजूरी दी गई। बैठक के दौरान आवेदक द्वारा पेश किये गये प्रस्तावों एवं फिर बाद में प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरणों पर संबंधित कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसियों (पीएमए) ने विस्तृत प्रस्तुतियां दीं। आईएमएसी ने इस बात पर गौर किया कि क्या आवेदकों ने बुनियादी पात्रता मानदंड, कुल परियोजना लागत, उपयुक्त या अपेक्षित परियोजना लागत और वित्त के साधनों का अनुपालन किया है।

बैठक के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने कहा, 'इसके तहत युवाओं के लिए प्रत्यक्ष रोजगारों के सृजन के साथ-साथ वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने संबंधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लक्ष्य की पूर्ति में योगदान करने' पर विशेष जोर दिया जाएगा।' बादल ने 270 करोड़ रुपये की लागत वाली नई परियोजनाओं को मंजूरी देते समय ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ प्रत्यक्ष रोजगारों के सृजन पर फोकस किया है। ये परियोजनाएं लगभग 9000 प्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन करेंगी और कृषि एवं विपणन (मार्केटिंग) को आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के साथ जोड़ने पर विशेष बल देंगी। इसके अलावा मंत्रालय 6,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली 'प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना' को भी कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत निवेशकों को अनुदान सहायता के रूप में उपयुक्त या अपेक्षित परियोजना लागत के 35 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (यूनिट) की स्थापना करने के अलावा बुनियादी ढांचागत एवं लॉजिस्टिक परियोजनाओं पर भी काम करना है।

गांधी परिवार की सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ जवानों को मिलेंगे एसपीजी वाले ही खास गैजेट्स

नईदिल्ली (आरएनएस)। गृह मंत्रालय ने कांग्रेस परिवार से भले ही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) की सुरक्षा वापस ले ली है, लेकिन अभी भी सोनिया गांधी , राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ जवानों को एसपीजी के हथियारों और गाड़ियों से ही होगी. सूत्रों ने एक सुरक्षा अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी.

सूत्रों के हवाले से यह बताया कि एसपीजी सुरक्षा कवर के तहत गांधी परिवार को रेंज रोवर एसयूवी, डिवाइसेस और अन्य गैजेट्स के और गाड़ियां मिलेंगी.

सूत्रों की मानें तो गृह मंत्रालय ने कैबिनेट सचिवालय को एसपीजी कवर की गाड़ियों और गैजेट को सीआरपीएफ को ट्रांसफर करने के लिए चिट्ठी लिखी है. इसकी कागजी कार्रवाई पूरी होने में एक-दो महीने का वक्त लग सकता है. पेपर वर्क पूरा होने तक अंतरिम तौर पर भी सीआरपीएफ गांधी परिवार को सुरक्षा देने के लिए एसपीजी के नाम अलॉट हुई गाड़ियों और गैजेट का इस्तेमाल कर सकेगी.

जरिए सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी. हालांकि एसपीजी हटने के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ जवानों के पास एसपीजी वाले ही सारे डिवाइसेज़

गेहूं की बुवाई में दिलचस्पी ले रहे किसान

» देश में चने का रकबा 22 फीसदी घटा

नई दिल्ली (आरएनएस)। चने का भाव नहीं मिलने और मौसम की अनिश्चितता के कारण इस साल किसान चने के बदले गेहूं की बुवाई में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, यही कारण है कि चने का रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 22 फीसदी घट गया है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से पिछले सप्ताह जारी रबी फसलों की बुवाई के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में चने की बुवाई अब तक 48.35 लाख हेक्टेयर में हुई है जबकि पिछले साल इस समय तक देश में चने का रकबा 61.91 लाख हेक्टेयर था।इस प्रकार पिछले साल के मुकाबले इस साल चने का रकबा 21.90 फीसदी पिछड़ा हुआ है। हालांकि गेहूं का रकबा भी अब तक सिर्फ 96.77 लाख हेक्टेयर हुआ है जोकि पिछले साल से 2.87 लाख हेक्टेयर कम है, लेकिन कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल अच्छी बारिश होने से देशभर में जलाशयों में काफी पानी है इसलिए गेहूं का रकबा बढ़ सकता है क्योंकि सिंचाई के लिए किसानों को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सरकार को फटकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली में एक महीने से भी ज्यादा समय से वायु प्रदूषण का मुद्दा छाया हुआ है। हालांकि सरकार इसे रोकने के लिए काफी प्रयास कर रही है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर प्रदूषण मामले पर सुनवाई की।

जस्टिस अरुण मिश्रा ने कोर्ट में पेश हुए पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि क्या अभी भी पंजाब में पराली जलाई जा रही है तो उन्होंने कहा कि हां। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि यह लगातार बढ़ रहा है, इसलिए हमने आपको यहां बुलाया है। ये क्यों बढ़ रहा है? आप हमें ये बताइए कि हम आप पर जुर्माना क्यों न लगाएं जो कि ऊपर से नीचे तक के सभी अफसरों से लिया जाए। हमारे आदेश के बावजूद यह हो रहा है। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

कृषि विभाग ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेशन भी काम कर रहा है। हमने किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल देने के लिए मना लिया है। इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हर कोई जानता है कि दिल्ली में क्या हो रहा है? अगर कोई प्रयास नहीं किए गए तो यह अगले साल भी होगा। आप अगर इसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली-एनसीआर के लोग मरते रहें और कैंसर के शिकार हों।

मार्शलों से धक्कामुक्की के बाद 2 कांग्रेस सांसद निलंबित

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा में मार्शलों द्वारा सांसदों के साथ धक्कामुक्की करने की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इस घटनाक्रम की जांच कराई, जिसके बाद धक्कामुक्की का आरोप गलत पाया गया और आसन के करीब नारे लिखी तख्तियां लहराने वाले कांग्रेस के दो सांसदों हिबी एडेन और प्रतापन को निलंबित कर दिया गया।

सोमवार को कांग्रेस ने महाराष्ट्र में घटी राजनीतिक घटनाओं को लेकर केन्द्र सरकार को घेरने की कोशिश की और संसद में भारी हंगामा किया।

हंगामे के दौरान कांग्रेस सांसदों और मार्शलों के बीच धक्कामुक्की करने का आरोप लगाया गया। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी द्वारा मार्शलों द्वारा सांसदों के साथ धक्कामुक्की करने की शिकायत पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, प्रह्लाद जोशी और अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर कांग्रेस के जिन दो सांसदों ने मार्शल के साथ धक्कामुक्की की उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज लोकसभा में जो हुआ है उस पर गहरी पीड़ा है। कांग्रेस ने आज सारी सीमाएं लांघ दी और जिस तरीके से मार्शल के साथ व्यवहार किया गया हम कांग्रेस के दो सांसदों की भर्त्सना करते हैं।

संसद के लिए बुरा दिनः मनीष तिवारी

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि आज संसद के लिए बुरा दिन, सांसदों ने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए लेकिन इससे पहले कभी सांसदों के साथ मार्शलों ने कभी हाथापाई नहीं की है, यह निंदनीय है। महिला सांसदों तक के साथ बुरा बर्ताव किया गया।

हंगामे में ठप हुई राज्यसभा की कार्यवाही

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को महाराष्ट्र की सियासत संसद के दोनों सदनों में हंगामे के रूप में नजर आई। कांग्रेस की अगुवाई में लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी महाराष्ट्र के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके कारण एक बार के स्थगन के बाद उच्च सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई।

राज्यसभा की सोमवार सुबह कार्यवाही शुरू होने पर सभापति एम. वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत कांग्रेस के आनंद शर्मा, माकपा सदस्य के के रागेश तथा इलामारम करीम, सीपीआई के विनय विस्वम और डीएमके सदस्य तिरुचि शिवा की ओर से कार्यस्थगन नोटिस को खारिज होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और वामदलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसी हंगामे के बीच अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि राज्यपाल के फैसले पर विशेष नोटिस के माध्यम से ही चर्चा की जा सकती है और ऐसा कोई नोटिस विपक्षी सदस्यों की ओर से नहीं दिया गया है। नकवी ने आरोप लगाया कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना महाराष्ट्र में जुगाड़ के जरिए लोकतंत्र का अपहरण करने की कोशिश कर रही हैं। इस हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दो बजे तक स्थगित कर दिया गया। दोपहर बाद जब उच्च सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो उप सभापति हरिवंश ने उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक पर अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाने को कहा, लेकिन कांग्रेस सांसदों ने अपनी सीटों पर खड़े होकर महाराष्ट्र में राज्यपाल पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। उप

सभापति ने इस मुद्दे पर सभापति द्वारा स्थिति स्पष्ट करने का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में व्यवस्था का सवाल भी नहीं उठाया जा सकता। कांग्रेस के समर्थन में अन्य विपक्षी दलों ने सदन में हंगामा शुरू करना शुरू कर दिया तो सदन की कार्यवाही को मंगलवार दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

राज्यसभा में पुरानी वर्दी में लौटे मार्शल – राज्यसभा में मार्शल सोमवार को सेना जैसी वर्दी के बजाय सामान्य बंद गले के सूट में नजर आए लेकिन उनके सर पर पगड़ी नहीं थी। पिछले सोमवार को, आसन के समीप मौजूद रहने वाले दोनों मार्शल गहरे रंग की सेना जैसी वर्दी तथा पी-कैप पहने हुए थे।